सूचि 14– फारम सं0 562

आदेश–पत्रक

[redacted] अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला जहानाबाद .बाद संख्या [redacted] /2017.

केस का प्रकार– नगरपालिका/नगर पंचायत आम निर्वाचन–2017, के अन्तर्गत नगर परिषद, जहानाबाद नगर पंचायत, मखदुमपुर के निर्वाचन के अवसर पर दंडप्रकिया संहिता की धारा–144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्रख्यापन।

आदेश की कम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में तारीख सहित 3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद

सरकार बनाम अन्य

निषेधाज्ञा आदेश

इस न्यायालय के ज्ञापांक 122/न्या0 दिनांक 31.03.2017 द्वारा निर्गत निषेधाज्ञा आदेश में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के पत्रांक 1557 दिनांक 12.04.2017 के द्वारा नगरपालिका/नगर पंचायत आम निर्वाचन–2017, की घोषणा कर दी गई है। जिसके आलोक में नाम निर्देशन दिनांक– 19.04.2017 से दिनांक 27.04.2017 तक, दिनांक 21.05.2017 को मतदान की तिथि एवं दिनांक 23.05.2017 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा निर्वाचन की घोषणा से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है तथा विभिन्न संभावित प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना निर्वाची पदाधिकारी कक्ष के आस–पास भीड़–भाड़ न हो तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट संख्या से अधिक संख्या में व्यक्ति किसी अभ्यर्थी विशेष के साथ निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश न करें तथा मतदान एवं मतगणना के दौरान असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

इसके आलोक में मैं नवल किशोर चौधरी, अनुमंडल दंडाधिकारी, जहानाबाद संतुष्ट हूँ कि उपर वर्णित नगरपालिका आम निर्वाचन–2017 के अन्तर्गत नगर परिषद, जहानाबाद एवं नगर पंचायत मखदुमपुर के निर्वाचन के अवसर पर निरोधात्मक कार्रवाई **नहीं की गई तो लोक शांति भंग की जा सकती है और वातावरण अशांत एवं** भयाक्रांत हो सकता है। अतः मैं दं0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए पूरे जहानाबाद अनुमंडल क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से नगरपालिका/नगर पंचायत आम निर्वाचन–2017, तक निषेधाज्ञा प्रख्यापित करते हुए निम्नलिखित आदेश देता हूँ:–

1. नामांकन की तिथियों को सभा, जुलूस या किसी भी प्रकार की भींड़ जो पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का नामांकन स्थल (अनुमंडल कार्यालय) के 200 (दो सौ) मीटर के अंदर पूर्णतः वर्जित रहेगा।
2. किसी भी प्रकार के सभा जुलूस, धरना या प्रदर्शन (जिसमें पॉच या उससे से अधिक व्यक्ति इक्कठे हो) बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं होगा। यह आदेश पूर्व से अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव–यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र–छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कमचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
3. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र , तीर–धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे और नहीं लेकर चलेंगे।
   (क) यह आदेश परम्परागत ढ़ंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि–व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
   (ख) यह आदेश जिला दंडाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र जमा करने हेतु ले जाने वाले अनुाप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
4. किसी प्रकार का पोस्टर,पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी वयक्ति विशेष के विरूद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नही चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
5. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजनसे साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न हीं भडकायेंगे।

6. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने–धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के साथ निर्गत किया गया। यह आदेश तत्क्षण प्रभावी होगा।

लेखापित एवं संशोधित,

(डा0 नवल किशोर चौधरी)
अनुमंडल दंडाधिकारी,
जहानाबाद।

(डा0 नवल किशोर चौधरी)
अनुमंडल दंडाधिकारी,
जहानाबाद।

ज्ञापांक 141 /न्या0 दिनांक 15.04 2017

प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी,/प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ0 पी0 अध्यक्ष, अनुमंडल जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार सम्पूण जहानाबाद अनुमंडल क्षेत्र में जन साधारण की जानकारी के लिये किया जाए तथा किए गये प्रचार से संबंधित प्रमाण–पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, समाहरणालय, जहानाबाद कोसूचनार्थएवं जिले के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निर्वाची पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ प्रभारी पदा0
जिला विधि शाखा, जहानाबाद , को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद की सेवा में सादर प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद की सेवा में सादर प्रेषित।

अनुमंडल दंडाधिकारी,
जहानाबाद।